

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

// विविध—आदेश //

क्रमांक // सां०लि०-३१/२००५

हरदा दिनांक // ०८/२०२३

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/4820/एक-७-३/2022 (भाग-१) जबलपुर दिनांक 17.12.2022 की कंडिका पांच में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा की अधिसूचना क्रमांक 18510 दिनांक 27.12.2022 के द्वारा वर्ष 2023 के लिये घोषित निम्नलिखित स्थानीय अवकाश न्यायिक जिला स्थापना, हरदा के हरदा/टिमरनी/खिरकिया स्थित न्यायालयों एवं अनुभागों के लिए भी घोषित किये जाते हैं :—

क्र.	अवकाश का नाम	दिनांक	दिन
01	भुजरिया (कजलिया)	31 अगस्त 2023	गुरुवार
02	महानवमी	23 अक्टूबर 2023	सोमवार
03	गोवर्धन पूजा (दीपावली का दूसरा दिन)	13 नवम्बर 2023	सोमवार

नोट:— दिनांक 23 अक्टूबर 2023 व दिनांक 13 नवम्बर 2023 के अवकाश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पूर्व से ही घोषित हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

पृ.क्र. // सां०लि०-३१/२००५

हरदा दिनांक // ०८/२०२३

प्रतिलिपि :-

- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
- न्यायिक अधिकारी (समस्त), हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- अनुभाग (समस्त), हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- कारागार अधीक्षक, जिला कारागार हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुभाग हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विविध आदेश की पी०डी०एफ० प्रति संबंधित की ओर ई—मेल के माध्यम से प्रेषित करते हुये न्यायिक जिला स्थापना हरदा की आफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

क्रमांक / सां.लि.-18 / 2005 हरदा दिनांक2023

व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 के “अध्याय 25 : अधिवक्ता व्यवसायियों के क्लर्क” में नियम 540 के अंतर्गत निम्नलिखित पंजीकृत अधिवक्ता लिपिकों का वर्ष 2023 के लिए नवीनीकरण कर उन्हें उनके नाम के समक्ष अंकित अभिभाषकगण के लिपिक के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

क्र0	पंजीकृत अधिवक्ता लिपिक का नाम	अभिभाषक का नाम
1.	श्री लखनलाल यादव (गुर्जर) पिता श्री हरनारायण यादव (गुर्जर)	श्री राधाकिशन यादव (गुर्जर)
2	श्री ओमप्रकाश सोनी पिता श्री हीरालाल सोनी	श्री राजेश पाराशर हरदा
3	श्री कैलाश अंकले पिता श्री नर्मदाप्रसाद अंकले	श्री श्रीराम कौशल
4	श्री माणकचंद्र यादव (गुर्जर) पिता श्री हरनारायण यादव (गुर्जर)	श्री रामनारायण गुर्जर
5	श्री श्रवण कुमार गिन्नारे पिता श्री प्रह्लादचंद्र गिन्नारे	श्री शिवविलास सराफ
6	श्री गोविंद यादव (गुर्जर) पिता श्री रेवाराम यादव (गुर्जर)	श्री राजेश यादव (गुर्जर)
7	श्री लोकेश कुमार तिवारी पिता श्री संतोष कुमार तिवारी	श्री दिनेश कुमार प्रजापति
8	श्री दिनेश दुबे पिता श्री रमेश दुबे	श्री ओमप्रकाश मोरछले
9	श्री मोहनलाल मालवीय पिता श्री श्यामलाल मालवीय	श्री बृजमोहन पाराशर
10	श्री मुकेश सोनी पिता श्री राधेश्याम सोनी	श्री एन0के0 खत्री

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

हरदा

पृ0क्रमांक / सां.लि.-18 / 2005 हरदा दिनांक2023

यथाआदेश-प्रतिलिपि :—

01. श्री राधाकिशन यादव (गुर्जर), अधिवक्ता, हरदा
02. श्री राजेश पाराशर हरदा, अधिवक्ता, हरदा
03. श्री श्रीराम कौशल, अधिवक्ता, हरदा
04. श्री रामनारायण गुर्जर, अधिवक्ता, हरदा
05. श्री शिवविलास सराफ, अधिवक्ता, हरदा
06. श्री राजेश यादव (गुर्जर), अधिवक्ता, हरदा
07. श्री दिनेश कुमार प्रजापति, अधिवक्ता, हरदा
08. श्री ओमप्रकाश मोरछले, अधिवक्ता, हरदा
09. श्री बृजमोहन पाराशर, अधिवक्ता, हरदा
10. श्री एन0के0 खत्री, अधिवक्ता, हरदा

P.T.O.

(2)

11. श्री लखनलाल यादव (गुर्जर) पिता श्री हरनारायण यादव (गुर्जर)
12. श्री ओमप्रकाश सोनी पिता श्री हीरालाल सोनी
13. श्री कैलाश अंकले पिता श्री नर्मदाप्रसाद अंकले
14. श्री माणकचंद्र यादव (गुर्जर) पिता श्री हरनारायण यादव (गुर्जर)
15. श्री श्रवण कुमार गिन्नारे पिता श्री प्रह्लादचंद्र गिन्नारे
16. श्री गोविंद यादव (गुर्जर) पिता श्री रेवाराम यादव (गुर्जर)
17. श्री लोकेश कुमार तिवारी पिता श्री संतोष कुमार तिवारी
18. श्री दिनेश दुबे पिता श्री रमेश दुबे
19. श्री मोहनलाल मालवीय पिता श्री श्यामलाल मालवीय
20. श्री मुकेश सोनी पिता श्री राधेश्याम सोनी
21. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, हरदा
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट, हरदा

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

क्रमांक / सां.लि.-18 / 2005 हरदा दिनांक.....2023

व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 के “अध्याय 25 : अधिवक्ता व्यवसायियों के क्लर्क” के अंतर्गत वर्ष 2023 के लिए निम्नानुसार व्यक्ति को उनके नाम के समक्ष अंकित अभिभाषक के लिपिक के रूप में पंजीकृत किया जाता है :—

क्र.	पंजीकृत अधिवक्ता लिपिक का नाम	अभिभाषक का नाम
1.	श्री देवकी नंदन शर्मा पिता श्री विजय शंकर शर्मा	श्री अजय गोरखे

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

क्रमांक / सां.लि.-18 / 2005 हरदा दिनांक.....2023

यथाआदेश-प्रतिलिपि :—

1. श्री अजय गोरखे, अधिवक्ता, हरदा
2. श्री देवकी नंदन शर्मा, अधिवक्ता लिपिक, हरदा
3. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, हरदा
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट, हरदा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

क्रमांक 32 / सां.लि.-18 / 2005 हरदा दिनांक...28 / 06 / 2023

व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 के “अध्याय 25 : अधिवक्ता व्यवसायियों के क्लर्क” के अंतर्गत वर्ष 2023 के लिए निम्नानुसार व्यक्ति को उनके नाम के समक्ष अंकित अभिभाषक के लिपिक के रूप में पंजीकृत किया जाता है :—

क्र.	पंजीकृत अधिवक्ता लिपिक का नाम	अभिभाषक का नाम
1.	श्री मधुसूदन दुबे पिता श्री जुगलकिशोर दुबे	श्री हरिमोहन शर्मा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

पृ0क्रमांक // सां.लि.-18 / 2005 हरदा दिनांक..... / 06 / 2023

यथाआदेश-प्रतिलिपि :-

1. श्री हरिमोहन शर्मा, अधिवक्ता, हरदा
2. श्री मधुसूदन दुबे, अधिवक्ता लिपिक, हरदा
3. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, हरदा
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी
सांख्यकीय अनुभाग, हरदा

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

क्रमांक 33 / सां.लि.-18 / 2005

हरदा दिनांक 28 / 06 / 2023

व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 के “अध्याय 25 : अधिवक्ता व्यवसायियों के क्लर्क” में नियम 540 के अंतर्गत निम्नलिखित पंजीकृत अधिवक्ता लिपिकों का वर्ष 2023 के लिए नवीनीकरण कर उन्हें उनके नाम के समक्ष अंकित अभिभाषकगण के लिपिक के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र0	पंजीकृत अधिवक्ता लिपिक का नाम	अभिभाषक का नाम
1.	श्री मो0 साजिद कुरैशी पिता श्री शेख शरीफ, हरदा	श्री अमर यादव
2	श्री संतोष उपाध्याय पिता श्री हरिश्याम उपाध्याय	श्री जगदीश प्रसाद वर्मा
3	श्री अनुराग मिश्रा पिता श्री विनोद नारायण मिश्रा	श्री विनोद नागले

सही/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

पृ0क्रमांक // सां.लि.-18 / 2005

हरदा दिनांक..... / 06 / 2023

यथाआदेश-प्रतिलिपि :-

1. श्री अमर यादव, अधिवक्ता, हरदा
2. श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, अधिवक्ता, हरदा
3. श्री विनोद नागले, अधिवक्ता, हरदा
4. श्री मो0 साजिद कुरैशी, अधिवक्ता लिपिक, हरदा
5. श्री संतोष उपाध्याय, अधिवक्ता लिपिक, हरदा
6. श्री अनुराग मिश्रा, अधिवक्ता लिपिक, हरदा
7. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, हरदा
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी
सांख्यकीय अनुभाग, हरदा

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

:: विविध आदेश ::

क्रमांक 31 / 2023

हरदा, दिनांक 28 / 06 / 2023

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा आदेश क्रमांक 477 दिनांक 13.05.2023 के माध्यम से तत्कालीन चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 हरदा की पदोन्नति द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, हरदा के रूप में किये जाने के उपरांत कार्यालयीन विविध आदेश क्रमांक 31ए दिनांक 11.04.2022 को अधिष्ठित करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक ई-3358 / तीन-1-5 / 57 दिनांक 01.05.2017 की कंडिका 1 के अनुशरण में पांच वर्ष और उससे अधिक अवधि से लंबित प्रकरण, विचाराधीन बंदियों के प्रकरण तथा अन्य प्राथमिकता वाले मामलों के निराकरण एवं उनकी संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से निम्नानुसार समिति पुनर्गठित की जाती है :—

- | | | | |
|----|---------------------------------------------|---|---------|
| 1. | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा | — | अध्यक्ष |
| 2. | विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), हरदा | — | सदस्य |
| 3. | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा | — | सदस्य |
| 4. | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरदा | — | सदस्य |
| 5. | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा | — | सदस्य |

उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि वह पांच वर्ष और उससे अधिक अवधि से लंबित प्रकरण, विचाराधीन बंदियों के प्रकरण तथा अन्य प्राथमिकता के मामलों के निराकरण एवं उनकी संख्या में कमी लाने हेतु उचित व आवश्यक कार्यवाही करे तथा उचित सलाह देना सुनिश्चित करें।

सही / —

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

पृ० क्रमांक / 2023 हरदा, दिनांक / 06 / 2023
यथाआदेश प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), हरदा
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा
3. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरदा
4. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरदा
5. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

.. परिपत्र ..

क्रमांक / सारलि०—९५ / २०१३

हरदा, दिनांक .०७.२०२३

यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अधिकांशतः न्यायालय मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) संशोधन दिनांक १९.०५.२०२२ का यथासंभव पालन करते हुए निर्णय तैयार नहीं कर रहे हैं।

अतएव इस परिपत्र के माध्यम से समस्त न्यायाधीशगण से अपेक्षा है कि मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) संशोधन दिनांक १९.०५.२०२२ का पालन करते हुए आपराधिक प्रकरणों के निर्णयों में प्रारूप—घ के तथ्यों को आवश्यक रूप से अन्तर्विष्ट किया जावे।

सही/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा
पृ०क० / सारलि०—९५ / २०१३ हरदा, दिनांक .०७.२०२३

यथाआदेश—प्रतिलिपि :—

१. समस्त न्यायाधीशगण, हरदा/ठिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

.. परिपत्र ..

क्रमांक / सारलि०—९५ / २०१३

हरदा, दिनांक .०८.२०२३

यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आहूत करने पर व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों द्वारा अव्यवस्थित अभिलेख भेज दिये जाते हैं।

अतएव इस परिपत्र के माध्यम से अपेक्षा है कि भविष्य में वरिष्ठ न्यायालयों के मांगपत्र के पालन में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों द्वारा नियमानुसार सुव्यवस्थित अभिलेख प्रेषित किये जावें। मांगपत्र के पालन में अव्यवस्थित अभिलेख प्रेषित किये जाने पर संबंधित न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध विपरीत टीका अंकित की जावेगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

पृ०क० / सारलि०—९५ / २०१३

हरदा, दिनांक .०८.२०२३

प्रतिलिपि :—

१. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड,
हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।
२. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

कार्यालय—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

:: विविध—आदेश ::

क्रमांक

/सांलि०—२८/२००६

हरदा, दिनांक

.०८.२०२३

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्रमांक ए/३४५२ दिनांक ०४.०९.२०२२ के अनुशरण में महिलाओं के विरुद्ध अपराध (आफन्स अगेन्स वोमेन—OAW) के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा के न्यायालय को विशेष न्यायालय (OAW) हरदा के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

पृष्ठांकन क्रमांक

/सांलि०—२८/०६

हरदा, दिनांक...../०८/२०२३

प्रतिलिपि :-

१. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
२. पुलिस अधीक्षक, हरदा
३. अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन, हरदा/टिमरनी/खिरकिया
४. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, हरदा
५. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
६. सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य-विभाजन आदेश जिला न्यायालय, हरदा की वेबसाइट पर अपलोड करें तथा सर्वसंबंधित की ओर ऑनलाईन प्रसारित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

:: आ दे श ::

क्रमांक / सां0लि0-31 / दो-12-22 / 05 हरदा दिनांक / 11 / 2023

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/4717/ एक-7-3/2010 जबलपुर दिनांक 15.11.2010 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 3223/1641143/2023/1/4 भोपाल दिनांक 13.10.2023 एवं कार्यालय कलेक्टर, हरदा की अधिसूचना क्रमांक 11962/विधान सभा निर्वाचन/2023 दिनांक 20.10.2023 के अनुक्रम में विधानसभा निर्वाचन 2023 अन्तर्गत मतदान दिनांक 17 नवम्बर 2023 दिन शुक्रवार को न्यायिक जिला हरदा के लिये सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है।

दिनांक 17.11.2023 को नियत सभी मामले न्यायालय के विवेकाधीन उसी प्रक्रम पर आगामी कार्यदिवस को सुनवाई में लिये जावेंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

पृ०क्रमांक / सां0लि0-31 / दो-12-22 / 05 हरदा दिनांक / 11 / 2023

प्रतिलिपि :-

- 1- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- न्यायिक अधिकारी (समस्त) हरदा/टिमरनी/खिरकिया
- 3- प्रभारी अधिकारी (समस्त अनुभाग) हरदा/टिमरनी/खिरकिया
- 4- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा
- 5- कलेक्टर जिला, हरदा
- 6- पुलिस अधीक्षक हरदा
- 7- जिला लोक अभियोजन अधिकारी, हरदा
- 8- कारागार अधीक्षक, जिला कारागार, हरदा
- 9- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, हरदा
- 10- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, हरदा/टिमरनी/खिरकिया
- 11- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

:: अधिसूचना ::

क्रमांक

/ 14—सां. लि./ 2005

हरदा, दिनांक 08.12.2023

जिला मुख्यालय हरदा हेतु शपथ आयुक्त के 03 पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त अधिवक्ताओं के आवेदन पत्र इस अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित प्रारूप—एक में आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदक को आवेदन प्रस्तुति दिनांक तक शपथ आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु उक्त स्थान पर न्यूनतम पांच वर्ष का विधि व्यवसायी होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ अर्हता संबंधी सभी दस्तावेज जैसे अनुभव प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र (सनद), जन्मतिथि को प्रमाणित करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र आदि समस्त प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किये जावें।

आवेदन पत्र इस कार्यालय में शपथ आयुक्त नियम 1976 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप—एक में तीन प्रतियों में सहपत्रों सहित दिनांक 22 दिसम्बर 2023 को कार्यालय समय तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। निर्धारित तिथि के बाद एवं अधूरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से घोषित किया जावे कि आवेदक, नोटरी अथवा किसी शासकीय लाभ के पद पर कार्यरत है अथवा नहीं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

पृ.क्र.

/ 14—सां. लि./ 2005

हरदा, दिनांक 08.12.2023

प्रतिलिपि :—

जिला अधिवक्ता संघ, हरदा की ओर प्रेषित कर लेख है कि शपथ आयुक्त के 03 पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों सहित प्रारूप—एक में पात्र अधिवक्ताओं के आवेदन दिनांक 22 दिसम्बर 2023 को कार्यालय समय तक कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न :— प्रारूप—एक

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

प्रारूप — एक

शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन
(शपथ आयुक्त नियम, 1976 के नियम 3 के अधीन)

1. आवेदक का नाम —
2. आवेदक के पिता/पति का नाम —
3. पूर्ण पता —

4. व्यवसाय का स्थान जो अधिवक्ता
के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
में प्रविष्ट हो —
5. वर्ष जब से विधि व्यवसाय कर रहे हैं —
6. क्या पूर्व में भी शपथ आयुक्त नियुक्ति किये
गये थे, यदि हां तो ऐसी नियुक्ति की समाप्ति
का कारण —
7. क्या पूर्व में नोटरी नियुक्ति किये गये थे, यदि
हां तो ऐसी नियुक्ति की समाप्ति का कारण —
8. तथ्य जिन पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाये — —

तारीख..... का दिन.....
स्थान..... आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता
हूँ घोषणा करता हूँ कि, उक्त विशिष्टियां मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य हैं और उक्त तथ्यों से संबंधित कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तारीख..... का दिन.....
स्थान..... आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

1. आवेदन प्रस्तुत करने या प्राप्त करने की तारीख —
2. जिला न्यायाधीश की टिप्पणियां —

3. अन्य कोई विशेष तथ्य जो जिला न्यायाधीश
की जानकारी में हो जिन पर ध्यान अपेक्षित हो —

तारीख..... का दिन.....
स्थान..... प्रधान जिला न्यायाधीश के हस्ताक्षर
कार्यालय मुद्रा के साथ

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

:: अधिसूचना ::

क्रमांक / 14—सां. लि./ 2005

हरदा, दिनांक 08.12.2023

तहसील टिमरनी हेतु शपथ आयुक्त के 01 पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त अधिवक्ताओं के आवेदन पत्र इस अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित प्रारूप—एक में आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदक को आवेदन प्रस्तुति दिनांक तक शपथ आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु उक्त स्थान पर न्यूनतम पांच वर्ष का विधि व्यवसायी होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ अर्हता संबंधी सभी दस्तावेज जैसे अनुभव प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र (सनद), जन्मतिथि को प्रमाणित करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र आदि समस्त प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किये जावें।

आवेदन पत्र इस कार्यालय में शपथ आयुक्त नियम 1976 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप—एक में तीन प्रतियों में सहपत्रों सहित दिनांक 22 दिसम्बर 2023 को कार्यालय समय तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। निर्धारित तिथि के बाद एवं अधूरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से घोषित किया जावे कि आवेदक, नोटरी अथवा किसी शासकीय लाभ के पद पर कार्यरत है अथवा नहीं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

पृ.क्र. / 14—सां. लि./ 2005

हरदा, दिनांक 08.12.2023

प्रतिलिपि :—

अधिवक्ता संघ, टिमरनी की ओर प्रेषित कर लेख है कि शपथ आयुक्त के 03 पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों सहित प्रारूप—एक में पात्र अधिवक्ताओं के आवेदन दिनांक 22 दिसम्बर 2023 को कार्यालय समय तक प्रेषित करें।

संलग्न :— प्रारूप—एक

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

प्रारूप — एक

शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन
(शपथ आयुक्त नियम, 1976 के नियम 3 के अधीन)

1. आवेदक का नाम —
2. आवेदक के पिता/पति का नाम —
3. पूर्ण पता —

4. व्यवसाय का स्थान जो अधिवक्ता
के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
में प्रविष्ट हो —
5. वर्ष जब से विधि व्यवसाय कर रहे हैं —
6. क्या पूर्व में भी शपथ आयुक्त नियुक्ति किये
गये थे, यदि हां तो ऐसी नियुक्ति की समाप्ति
का कारण —
7. क्या पूर्व में नोटरी नियुक्ति किये गये थे, यदि
हां तो ऐसी नियुक्ति की समाप्ति का कारण —
8. तथ्य जिन पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाये — —

तारीख..... का दिन.....
स्थान..... आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता
हूँ घोषणा करता हूँ कि, उक्त विशिष्टियां मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य हैं और उक्त तथ्यों से संबंधित कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तारीख..... का दिन.....
स्थान..... आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

1. आवेदन प्रस्तुत करने या प्राप्त करने की तारीख —
2. जिला न्यायाधीश की टिप्पणियां —

3. अन्य कोई विशेष तथ्य जो जिला न्यायाधीश
की जानकारी में हो जिन पर ध्यान अपेक्षित हो —

तारीख..... का दिन.....
स्थान..... प्रधान जिला न्यायाधीश के हस्ताक्षर
कार्यालय मुद्रा के साथ

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

:: अधिसूचना ::

क्रमांक /14—सां. लि./ 2005

हरदा, दिनांक 08.12.2023

जिला हरदा हेतु शपथ आयुक्त (उच्च न्यायालय के लिये) के 03 पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त अधिवक्ताओं के आवेदन पत्र इस अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित फार्म—1 में दिनांक 22 दिसम्बर 2023 को कार्यालय समय तक आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदक को आवेदन प्रस्तुति दिनांक तक शपथ आयुक्त (उच्च न्यायालय के लिये) के पद पर नियुक्ति हेतु उक्त स्थान पर न्यूनतम सात वर्ष का विधि व्यवसायी होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ अर्हता संबंधी सभी दस्तावेज जैसे अनुभव प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र (सनद), जन्मतिथि को प्रमाणित करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र आदि समस्त प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किये जावें। आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के नाम से देय रूपये 100=00 का गैर वापसी योग्य पोस्टल ऑर्डर संलग्न किया जावे।

आवेदन पत्र इस कार्यालय में शपथ आयुक्त (उच्च न्यायालय के लिये) नियम 2008 के अंतर्गत निर्धारित फार्म—1 में तीन प्रतियों में सहपत्रों सहित अधिसूचना जारी होने के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। निर्धारित तिथि के बाद एवं अधूरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र में यह स्पष्ट रूप से घोषित किया जावे कि आवेदक, नोटरी अथवा अन्य किसी शासकीय लाभ के पद पर कार्यरत है अथवा नहीं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

पृ.क्र. /14—सां. लि./ 2005

हरदा, दिनांक .12.2023

प्रतिलिपि :—

अधिवक्ता संघ, हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर प्रेषित कर लेख है कि शपथ आयुक्त (उच्च न्यायालय के लिये) के 03 पदों पर नियुक्ति हेतु फार्म—1 में अधिवक्ताओं के आवेदन दिनांक 22 दिसम्बर 2023 को कार्यालय समय तक कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न :— प्रारूप फार्म—1

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा